

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जोधपुर ग्रामीण)

तहसीलदार सेखाला हाल चामू

बनाम


समस्त ग्राम श्रीरामनगर

किस्म मुकदमा - धारा 131,132 राज. भू.राजस्व. अधि. (मुकदमा नम्बर 168/2024) (वर्ष 2024)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
25.10.2024	<p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 05.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">५५</p>	
5/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई 21/11/24 परकार कबुली पत्रावली दिनांक 25/11/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">५५</p>	
25/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई 21/11/24 परकार कबुली पत्रावली दिनांक 18/12/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">५५</p>	



फर्द अहकाम.

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
18/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। राजकीय पैरोकार उपस्थित नहीं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 04.10.2024 को आदेश पारित कर मौजा श्रीरामनगर के खसरा नम्बर 327 एवं 328 में से न्यायालय हाजा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 को अपास्त का पत्रावली में सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए रिमाण्ड की गई थी। पत्रावली में सम्बन्धित खातेदारों को पक्षकार राजकीय पैरोकार द्वारा नियुक्त किया जाना है। उक्त पत्रावली में राजकीय पैरोकार द्वारा किसी प्रकार की पैरवी नहीं की जा रही हैं। अतः उक्त पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में इस आदेश के निस्तारित की जाती है कि न्यायालय हाजा द्वारा मौजा श्रीरामनगर पटवार मण्डल गिलाकोर के खसरा नम्बर 355, 364, 356, 331, 332/2, 332, 330, 330/1, 329, 329/1, 328, 327, 333, 334, 326, 353, 353/1, 353/3 में दिनांक 17.12.2021 को पारित कदमी रास्ते के आदेश को अपास्त किया जाता है। सम्बन्धित तहसीलदार उक्त खसरो के राजस्व रेकॉर्ड में पूर्व की स्थिति बहाल करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी, बालेसर </p>	